प्र.नं. 45/2013

अनवान......श्रीतकमलसिंह वगैरह [illegible]
**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | हैं जिससे वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होती है एवम इनको पुन: इ उपस्थिति आवश्यक नही है। फिर भी प्रार्थी ने दो अन्य गवाह अमोलकसिंह पुत्र प्रीतम सिंह व चतनसिंह पुत्र अमरसिंह के बयान कलमबन्द करवाये जो शामिल पत्रावली किये गये पत्रावली मे अन्य कोई साक्ष्य आना शेष नही है। अत: वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 7.2.2020 को पेश हो। [signature] 17.1.20 |
| 7.2.20 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त सार पत्रावली निम्नप्रकार है। प्रार्थी प्रीतकमल सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 5 एफ.एफ.ए. ने निरंजनसिंह पुत्र गुरदित्तसिंह जाति जट सिख निवासी 5 एफ.एफ.ए. द्वारा दिनांक 29.3.2004 को तहरीर वसीयत के अनुसार उसके हक मे प्रार्थनापत्र पेश कर वसीयत प्रमाणपत्र के साथ प्रार्थनापत्र पेश कर वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने की मांग की। प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर वसीयत प्रतिक बारे में एतराज आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई। पटवारी हल्का से वसीयत प्रति बाबत रिपोर्ट ली गई।<br>पत्रावली मे उपलब्ध वसीयत की प्रति का अवलोकन किया गया। वसीयत पंजाबी भाषा व गुरमुखी लिपि में लिखी हुई है एवं उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ लगा हुआ है। वसीयत में निरंजन सिंह पुत्र गुरदित्तसिंह पुत्र नथासिंह निवासी 5 एफ.एफ.ए. ने अपनी समस्त सम्पत्ति अपने पड़पोते प्रीतकमल सिंह, कमलजिन्द्र सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह पुत्र निरंजनसिंह |

नवान........................................................................................................................

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को देने की इच्छा जाहिर की। वसीयत सब रजिस्ट्रार शाहकोट पंजाब के कार्यालय में वसीका नम्बर 274 दिनांक 29.03.2004 को पंजीकृत है। गवाह इकबाल सिंह पुत्र साधू सिंह वसीयत के गवाह इकबाल सिंह पुत्र साधूसिंह तथा कंवलसिंह पुत्र सर्वजीत सिंह ने भी वसीयत सही होने के पक्ष में नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र पेश किए हैं। पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया संयुक्त खाते में वसीयतकर्ता के नाम संयुक्त चक 5 एफ एफ ए में वसीयतकर्ता एक मात्र खातेदार की भूमि है। जो सिलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। वसीयत कर्ता के नहीं है। राजकीय हेतु अवाप्त नहीं है। कोई बाद न्यायालय में बकाया का कब्जा नहीं है। संलग्न जमाबंदी नकलों के अनुसार में जोर बाग नहीं है। संलग्न जमाबंदी के नाम एक खाते में निरंजन सिंह के नाम मु.नं. 24 किता कुल 8, मुरब्बा नं. 30 किता 2, दाखिल है मु.नं. 22, किता 25, मुरब्बा 35 किता 1(एक) व मु.नं. 31 किता 25, कुल 33 किता ... दर्ज है। चूंकि संयुक्त खातेदारी में दिनांक दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश में दिनांक 6.06.2013 को प्रकाशित एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 24.6.13 तक एतराज आमंत्रित किए गए। की प्रति पत्रावली में मौजूद है। इकबाल सिंह नम्बरदार पुत्र साधूसिंह वासी बुडोवालकलां तहसील शाहकोट जिला जालंधर के हलफिया बयान जो कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शाहकोट दिनांक 10.6.13 भी पत्रावली में मौजूद है व सर्वजीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह कंवल सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह जिला जालंधर वासी बुडोवाल तहसील शाहकोट भी शामिल पत्रावली है व दिनांक 10.01.2013 भी शामिल पत्रावली है व गवाह कंवल सिंह व प्रीतकमल सिंह तथा गवाह कंवल सिंह के द्वारा प्रीत कमल सिंह तथा गवाह कंवल सिंह ने 10-10 रु. के नोट ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर लिखे शपथ पत्र एवं नोटेरी से प्रमाणित हलफिया शपथ पत्र भी शामिल पत्रावली है। [signature] | |

अनवान........................................................................

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | प्रार्थी कुलदीप सिंह ने जरिये, दिनांक 8.9.15<br>एक प्रार्थना पत्र लिख कर निवेदन किया कि<br>प्रश्नगत वसीयत से सम्बन्धित एक दावा<br>कुलदीप सिंह बनाम हरजिन्दर सिंह आदि<br>मु.नं. 145/2013 तथा एक प्रार्थनापत्र बाबत<br>212 RTA अन्तर्गत कुलदीप सिंह बनाम कमल-<br>प्रीतसिंह आदि मु.नं. /2013 पेशी 13.3.14<br>श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर के<br>न्यायालय में पेश किये हुए है जो लंबित है<br>जिसमें तथाकथित वसीयत को चेलेंज किया<br>हुआ है। स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।<br>अतः दावा निस्तारण तक प्रकरण की कार्यवाही<br>स्थगित रखी जावे।<br>तारीख दिनांक 23.12.16 को पत्रावली में फर्द अहकाम<br>में लिखाया कि प्रकरण में श्रीमान SDO साहब<br>का स्थगन है। प्रकरण में स्थगन निरस्त होने पर<br>पेश हो। उसके बाद पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई।<br><br>न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर<br>के प्रकरण सं. 116/2013 उनवान कुलदीप सिंह आदि<br>बनाम प्रीतकमल सिंह आदि में निर्णय दिनांक<br>19.8.19 की पालना में अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त<br>करने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर<br>दिनांक 20.9.19 को पुनः पत्रावली पेशी पर<br>ली गई। प्रार्थी को पुनः सुना गया। प्रार्थी ने<br>बताया कि वसीयत में वसीयत कर्ता उनके पड़दादा<br>निरंजन सिंह पुत्र गुरदित सिंह ने दिनांक 29.3.2004<br>को एक वसीयत प्रार्थी प्रीतकमल सिंह तथा उसके<br>भाई कमलजीत सिंह के पक्ष में करके रजिस्ट्रार<br>शाहकोट के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाई<br>थी। वसीयत के दोनों गवाहों का नोटेरी<br>प्रमाणित शपथपत्र पूर्व में ही पेश किये<br>जा चुके है चूंकि अब वसीयत के गवाह |

# फर्द अहकाम

(फार्म – III)

## न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)भू अभिलेख श्रीकरनपुर

वान........................................................................................................................

*बनाम*

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

मुकदमा.................................................................................................नं0. ..................वर्ष...................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | करनैल सिंह का देहान्त हो चुका है एवं दूसरा गवाह इकबाल सिंह अब वृद्ध एवं अस्वस्थ है और विदेश में निवास करते हैं अतः आने में असमर्थ हैं। उक्त वसीयत के गवाहों के अलावा भी प्रार्थी ने वसीयत के पक्ष में अमोलक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह तथा चनन सिंह पुत्र अमर सिंह के बयान भी वसीयत के पक्ष में करवाए जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों से राजस्व अभिलेखों में वसीयतकर्ता के नाम दर्ज भूमि अनुसार वसीयतकर्ता की स्व अर्जित है। जिसके अनुसार वसीयतकर्ता की निर्विवाद खातेदारी के अनुसार कब्जा काश्त भी निर्विवाद कर दी है। वसीयतकर्ता के वारिसों को | |
| | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में यह प्रावधान किया गया है कि खातेदार अभिधारी अपनी जोत या उसके किसी भाग को अपने हित की स्वीय विधि के अनुसार वसीयत कर सकता है। यह व्यवस्था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57, 58 तथा तृतीय अनुसूची में भी की गई है। उपरोक्त हिन्दू कानूनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी सम्पत्ति का निस्तारण कर सकेगा। वसीयत के मामले में भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम में नामान्तरण 130 का वसीयत व 131(2) में नामान्तरण से पूर्व वसीयत की वैधता की जांच संबंधी व्यवस्था दी गई है। | |
| | हमने पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों, साक्ष्यों पर मनन किया। वसीयतकर्ता ने अपने जीवनकाल में | |

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, [illegible] व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
| --- | --- |
| | [illegible] वसीयत दिनांक 25.3.20.. प्रस्तुत किया, [illegible] को [illegible] मैं [illegible] वसीयत [illegible] ने अपने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होने के [illegible] पक्ष ने [illegible] वसीयत [illegible] न्यायालय में [illegible] कोई [illegible] 15.5.19 [illegible] है। [illegible] को [illegible] है [illegible] अतः इस पत्रावली का [illegible] रखने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] साक्ष्यों से वसीयत की [illegible] प्रकार से [illegible] वैधता सिद्ध होती है, [illegible] वसीयत को सही मानते हुए [illegible] है। अतः वसीयत को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक वसीयत दिनांक 25.03.20.. [illegible] खाता नं. 274 [illegible] [illegible] मैं [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] के नाम राजस्व रेकार्ड में [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में दर्ज [illegible] करावे। पत्रावली फैसल मुताबिक [illegible] दाखिल हो। |
| | [signature] 7.2.20 |